निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़ 1942 (श0)

(सं0 पटना 414) पटना, शुक्रवार, 3 जुलाई 2020

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

3 जुलाई 2020

सं०सं०11/महा० (विविध)49/2020–491(11)——महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 2, 3 और 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–208 (11), दिनांक–17.03.2020 द्वारा ''बिहार महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020'' जारी किया गया है।

उक्त विनियमावली, 2020 के विनियम 19 में विनियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शास्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय बनाया गया है। अब बिहार सरकार ने शास्ति खंड को स्पष्ट और सरलीकृत करने और इसे शमनीय बनाने की आवश्यकता महसूस की है और इसलिए, महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 2, 3 और 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार महामारी, कोविड–19 विनियमावली, 2020 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियमों को जोड़ती है।

1. यह विनियमावली ''बिहार महामारी, कोविड–19 (संशोधन) विनियमावली'' कहलाएगी।
2. यह अन्तःस्थापित की जाएगी और अन्तःस्थापित की गयी समझी जाएगी और तुरत प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
3. विनियम 19, विनियम 19(क) को अन्तःस्थापित कर संशोधित की जा सकेगी।

विनियम 19(क)

एतद् द्वारा राज्य सरकार उक्त विनियमावली, 2020 के विनियम 19 (शास्ति) के अधीन यथा उपबंधित बिहार महामारी, कोविड–19 विनियमावली, 2020 के किसी उपबंध का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय अपराधों के शमन के लिए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ–2 में विनिर्दिष्ट कार्यों को रोकने वाले आदेश अथवा विनियम के उल्लंघन पर उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशि हेतु सभी जिला मजिस्ट्रेट और अपनी–अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदाधिकारियों को प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

क्र. सं.	अपराध	अपराध जिसका शमन किया जाना है के लिए राशि (रुपये में)
1	2	3
1	सार्वजनिक अथवा कार्य स्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर (नाक और मुँह को समुचित रूप से ढकना) नहीं पहनने वाला कोई व्यक्ति।	रु50/–

आदेश से,
उदय सिंह कुमावत,
प्रधान सचिव।

The 3rd July 2020

No. 11/महा० (विविध)49/2020–490(11)—In exercise of powers conferred under sections 2, 3 and 4 of the Epidemic Disease Act, 1897, the Government of Bihar has been pleased to issue the Bihar Epidemic Diseases, COVID-19 Regulation, 2020 vide Notification No. 208(11) dated 17.03.2020.

In Regulation 19 of the said Regulation, 2020 penalty for violating any provisions of the Regulations has been made punishable under section 188 of the Indian PenalCode. Now, the Government of Bihar has felt the need to clarify and simplify the penalty clause and make it compoundable and therefore, in exercise of the powers conferred under sections 2, 3 and 4 of the Epidemic Disease Act, 1897, the Government of Bihar is pleased to add the following Regulations further to amend the BiharEpidemic Diseases, COVID-19 Regulation, 2020.

1. These Regulations may be called "The Bihar Epidemic Diseases, COVID-19 (Amendment) Regulation, 2020."
2. They shall be inserted and shall be deemed to have been inserted and come into force at once.
3. Regulation 19 may be amended by inserting Regulation 19 (A).

Regulation 19 (A)

The State Government hereby authorizes all District Magistrates and also such Officers duly authorized by the District Magistrates within their respective jurisdiction to compound the offences punishable under section 188 of the Indian Penal Code for violating any provision of the Bihar Epidemic Diseases, COVID-19 Regulation, 2020 as provided under Regulation 19 (Penalty) of the said Regulation, 2020, by violating the order or Regulation prohibiting the actions specified in column-2 of the schedule given below for the amount specified against each of them in column 3 of the said schedule.

Schedule

S.N.	Offence	Amount in Rupees for which the offence is to be compounded
1	2	3
1.	Any person not wearing face mask or face cover (nose and mouth covered properly) in public or work place.	Rs. 50/-

By Order,
UDAI SINGH KUMAWAT,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 414-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in